QUESTION

Details of De-notified land

98 SH. RAKESH DAULTABAD, M.L.A; will the Chief Minister be pleased to state:-

a) The total area of land which has been de-notified by the State under section 101A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Act, 2017 in district Gurugram together with its coordinates, land revenue records and other details thereof;

b) The formula or rule/regulation/law applied to take back the compensation given to the land owners in the event of de-notification of land where the compensation has been given to land owners;

c) The criteria and process to give back to possession of land and damages in the event where the land was acquired by the Government but the compensation was not given/disbursed to the land owners;

d) The total amount of compensation on account of damages, sustained by the land owners due to land acquisition, paid to such owners in district Gurugram from the year 2019 till to date?

REPLY

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

a) No land has been de-notified in Gurugram under section 101-A of the Right to Fair Compensation Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Act, 2017 till date.

b) As, no land has been de-notified under section 101-A of the Right to Fair Compensation Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Act, 2017, no compensation has been taken back from landowner(s).

c) As, no land has been de-notified under section 101-A of the Right to Fair Compensation Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Act, 2017, no possession of any land was given back to landowner(s).

d) As, no land has been de-notified under section 101-A of the Right to Fair Compensation Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Act, 2017. Hence, no compensation on account of damages has been distributed to landowner(s).

प्रश्न

डी नोटिफाईड भूमि का ब्यौरा

98. श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर): क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि:–

क) जिला गुरूग्राम में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 101–क के अन्तर्गत राज्य द्वारा डी–नोटिफाईड की गई भूमि का कुल क्षेत्र कितना है तथा इसके निदेशंको, भूमि राजस्व रिकार्ड तथा अन्य ब्यौरे क्या है।

ख) भूमि की डी–नोटिफिकेशन की स्थिति में जहां भू–स्वामियों को मुआवजा दिया गया था, भू–स्वामियों को दिए गए मुआवजे को वापिस लेने के लिए सूत्र या नियम/विनियम/लागू कानून क्या है तथा

ग) जहां सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया/वितरित नहीं किया गया था उस स्थिति में भूमि का कब्जा और नुकसान वापिस देने के लिए मानदंड और प्रकिया क्या है।

घ) वर्ष 2019 से अब तक जिला गुरूग्राम में भूमि अधिग्रहण के कारण भू–स्वामियों को हुए नुकसान के कारण ऐसे मालिकों को दिए गए मुआवजे की कुल राशि कितनी है।

उत्तर

मनोहर लाल, मुख्य मन्त्री, हरियाणा सरकार

क) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–101क के अन्तर्गत अभी तक राज्य द्वारा जिला गुरूग्राम में कोई भूमि डी–नोटिफाई नहीं की गई है।

ख) क्योकि, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–101–क के अन्तर्गत राज्य द्वारा कोई भूमि डी–नोटिफाई नहीं है इसलिए भूमि मालिको से कोई मुआवजा राशि वापिस नहीं ली गई है।

ग) क्योकि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–101क के अन्तर्गत राज्य द्वारा कोई भूमि डी–नोटिफाई नहीं की गई है इसलिए भूमि मालिको को कोई कब्जा वापिस नहीं दिया गया है।

घ) क्योकि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–101क के अन्तर्गत राज्य द्वारा कोई भूमि डी–नोटिफाई नहीं की गई है अतः इसलिए भूमि मालिको को कोई क्षतिपूर्ति मुआवजा वितरित नहीं किया गया है।